

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक-1385/271/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध संस्थाओं/समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 584/378/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध संस्था द्वारा प्रथम 'रिव्यू' दर्ज नहीं किया जाकर राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	ऑएस्कॉम फार्चून एजुकेशनल सोसायटी, भोपाल (म.प्र.)
2	प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय का नाम	श्री बालाजी कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, ग्राम रसूलिया गोसाई, रातीबड़, भोपाल(म.प्र.)
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी.बी.ए. बी.कॉम, बी.जे., बी.पी.एड.
4	आदेश क्रमांक - 584/378/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	1. समिति की वर्तमान पदाधिकारियों की सूची 4.1.2017 तक मान्य है। 2. 20/10 कि.मी. की परिधि में अशासकीय महा0 संचालित नहीं होने का प्रमाणपत्र कडिका 2.1.5(क) की (कलेक्टर द्वारा) संलग्न नहीं हैं। अग्रणी प्राचार्य के द्वारा भी नियमानुसार प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है। 3. भूमि क्रय हेतु धारा 21 की अनुमति, भूमि का डायवर्सन भवन निर्माण की अनुमति भवन पूर्णता प्रमाण पत्र, भवन का निर्मित संबंधी दस्तावेज संलग्न नहीं है।

// 2 //

5	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	समिति के पदाधिकारियों की वैधता दिनांक 4.1.2017 को समाप्त हो चुकी है। कलेक्टर का 20/10 कि.मी. की परिधि में अशासकीय महा0 संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।	
6	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	---निरंक---
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी.बी.ए, बी.कॉम, बी.जे., बी.पी.एड.


अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 1386/271/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
 - 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
 - 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
 - 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
 - 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
 - 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव, मध्यप्रदेश।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पाँचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक- 1387/259/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध संस्थाओं/समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 584/378/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

संख्या क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	मौ. वैष्णवी शिक्षा समिति, भडूस, जिला- बैतूल(म.प्र.)
2	प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय का नाम	वैष्णवी कॉलेज, भडूस, जिला- बैतूल (म.प्र.)
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी.ए.आ.पा., राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र (अति.विषय अर्थशास्त्र), बी.ए.आ.पा., हिन्दी, राजनीति, समाजशास्त्र (अति.विषय इतिहास) बी.कॉम.(अति.विषय कम्प्यूटर एप्ली.), बी.एससी.रसायन, गणित, भौतिकशास्त्र (अति.विषय कम्प्यूटर), बी.एससी.रसायन, वनस्पति, प्राणीशास्त्र (अति. विषय माईक्रोबायोलॉजी), एल.एल.बी.
4	आदेश क्रमांक - 584/378/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	कडिका 2.1.5(क)(1) की पूर्ति नहीं, अनुविभागीय अधिकारी बैतूल के प्रमाण पत्र के अनुसार 10 कि.मी. से कम दूरी 6.37 कि.मी. पर महा0 संचालित है। अतः प्रकरण विचार योग्य नहीं।


//2//

5	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) -बैतूल के प्रमाण-पत्र क्रमांक /2017/स्टेनो/445 दिनांक 14/02/2017 द्वारा प्रस्तावित महाविद्यालय स्थल से 6.37 कि. मी. की दूरी पर विवेकानन्द विज्ञान महाविद्यालय, बैतूल संचालित होना बताया गया था। संस्था द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) -बैतूल का प्रमाण-पत्र क्रमांक 689 दिनांक 31/03/2017 प्रस्तुत किया गया है, तदनुसार प्रस्तावित महाविद्यालय स्थल से 20 किलोमीटर की परिधि में अन्य कोई अशासकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है। परीक्षण उपरान्त प्रस्तावित नवीन अशासकीय महाविद्यालय स्थल से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर अशासकीय विवेकानन्द विज्ञान महाविद्यालय, बैतूल संचालित होना पाया गया है। अतः नवीन महाविद्यालय हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का प्रकरण अमान्य।
6	द्वितीय रिव्यू परीक्षण निष्कर्ष	प्रस्तावित महाविद्यालय की 20 किलोमीटर की परिधि में बी. ए. पाठ्यक्रम संचालित नहीं होने से मान्य, शेष आवेदित पाठ्यक्रम 20 किलोमीटर की परिधि में संचालित होने से अमान्य।
7	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
	आवेदित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	अग्रलिखित मान्य पाठ्यक्रम
	आवेदित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		बी.ए. (आ.पा., राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र अति.विषय अर्थशास्त्र), बी.ए.(आ.पा., हिन्दी, राजनीति, समाजशास्त्र अति.विषय इतिहास) बी.कॉम.(अति.विषय कम्प्यूटर एप्ली.), बी. एससी.रसायन, गणित, भौतिकशास्त्र (अति. विषय कम्प्यूटर), बी.एससी.रसायन, वनस्पति, प्राणीशास्त्र (अति. विषय माईक्रोबायोलॉजी), एल.एल.बी.

4. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक 1388/259/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव, मध्यप्रदेश।

---की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक- 1383 / 306 / आउशि / सम्बद्धता / 17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय / नवीन पाठ्यक्रम / नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय / समिति) के द्वारा प्रस्तुत / विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों / विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।


3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों / दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	श्री वर्द्धमान एजुकेशन सोसायटी, भोपाल
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	लक्ष्मी नारायण कॉलेज आफ टेक्नोलॉजी एक्सेलेस, भोपाल
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	साईंस (कम्प्यूटर साईंस, गणित, सांख्यिकी), कॉमर्स, बी.बी.ए., बी.सी.ए.
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	---
5	आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	आवेदित नवीन पाठ्यक्रमों में गत सत्र में 50 प्रतिशत से अधिक प्रवेश हुए/ नहीं हुए संबंधी अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। आयुक्त के लियन सहित संयुक्त एफ.डी.आर. संलग्न नहीं है। अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालन न करने संबंधी घोषणा-पत्र मान्य योग्य नहीं है।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	संस्था में अन्य विश्वविद्यालय राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बी.ई. एवं एम.टेक. तकनीकी पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हैं।

//2//

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	संस्था में पूर्णकालिक एम.बी.ए. पाठ्यक्रम स्वतंत्र भवन में संचालित बताया गया है। इस भवन में एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के साथ सामान्य पाठ्यक्रमों हेतु अनुमति चाही गई है। निरीक्षण कराने पर सामान्य पाठ्यक्रमों हेतु स्वतंत्र पृथक भवन उपलब्ध नहीं होने से आवेदित नवीन पाठ्यक्रम अमान्य।
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम - निरंक -
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस, गणित, सांख्यिकी), बी.कॉम, बी.बी.ए., बी.सी.ए.


“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-1384/306/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.